

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-9  
संख्या 750/XXVII(9)/स्टाम्प-83/2009  
देहरादून: दिनांक 13 नवम्बर, 2009

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष, 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, ग्राम गेटिया जनपद नैनीताल की खतौनी खाता संख्या 5,8,9 एवं 121 मध्ये महर्षि कपिल अद्वैत पायलट बाबा आश्रम के नाम 61 नाली तथा श्री जयदेव प्रसाद भिण्डा के नाम 27 नाली दर्ज भूमि इस प्रकार कुल 88 नाली भूमि को होलिस्टिक एजुकेशन एण्ड वेल वीइंग ट्रस्ट, तल्ला गेटिया, ज्योलिकोट, जनपद नैनीताल को भूमि दान किये जाने की स्थिति में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(एल0 एम0 पन्त)  
सचिव।

संख्या 750(1)/XXVII(9)/स्टाम्प-83/2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मण्डलायुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 2- महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी जनपद नैनीताल।
- 4- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- जिला निबन्धक, जनपद नैनीताल।
- 6- उप-निदेशक, राजकीय प्रेस रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग-9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 7- न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- प्रभारी, एन0आई0सी, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 एस0 वल्दिया)  
उप सचिव।

21/11/09 G.F.I.e

17/11/09